जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति   दिनांक-09.02.2025

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये हुए 05 गैस सिलेण्डर व चोरी की घटना में प्रयुक्त 01 रेहड़ा बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 07.02.2025 को वादियां श्रीमती रेशमा प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विधालय ग्राम सिम्भालंका जनपद शामली ने विधालय की रसोई से 04 गैस सिलेण्डर व रसोई के बर्तन आदि सामान को किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में व दिनांक 08.02.2025 को वादी अंजू कुमार उर्फ काला पुत्र महावीर निवासी ग्राम ताजपुर सिम्भालका के घर से 01 गैस सिलेण्डर व अलमारी तोड़कर 9000/- रुपये की नगद राशि चोरी करने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर तहरीर दाखिल की गई थी । दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किये गये थे ।

आज दिनांक 09.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चोरी/लूट की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 चोरो को 05 गैस सिलेण्डर व चोरी की घटना में प्रयुक्त 01 रेहड़ा सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.अभिलाष उर्फ सानु पुत्र राजपाल निवासी ग्राम सिम्भालका थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।
2.विशाल पाल पुत्र ऋषिपाल निवासी मौहल्ला रामसागर गली न0 4 थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अभिलाष उपरोक्तः-

1.मु0अ0स0 64/24 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।
2.मु0अ0स0 66/24 धारा 414 भादवि व 3/25 शस्त्र अधि0 थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।
3.मु0अ0स0 336/24 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।
4.मु0अ0स0 526/23 धारा 379/411 भादवि ।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी किये हुए 05 गैस सिलेण्डर ।
2.चोरी की घटना में प्रयुक्त 01 रेहड़ा ।

थाना कैराना पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर अवैध हथियार के साथ वीडियो वायरल करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामद।

ज्ञात हो कि विगत दिनों थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही थी, जिसमें एक युवक द्वारा अवैध हथियार लिये हुये दिखाई दे रहा था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर सभी थानों से उस संबंध में जानकारी कर कार्यवाही किए जाने के लिए निर्देशित किया था। थाना कैराना पुलिस द्वारा वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे युवक की पहचान आफताब उर्फ ताबू पुत्र जरीफ निवासी मौहल्ला आलकला कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली के रुप में की गयी थी। थाना कैराना पुलिस निरंतर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे।

इसी क्रम में दिनाँक 08.02.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा सोशल मीड़िया पर अवैध हथियार के साथ वीड़ियो वायरल करने के मामले में 01 अभियुक्त को अवैध 01 पौनिया 12 बोर मय 01 जिंदा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त हुई है। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.आफताब उर्फ ताबू पुत्र जरीफ निवासी मौहल्ला आलकला कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त आफताब उर्फ ताबू उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0-500/2022, धारा- 147/148/149/307 भादवि, थाना कैराना जनपद शामली।
2.मु0अ0सं0-501/2022, धारा- 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम व 11 पशुक्रूरता निवारण अधिनियम, थाना कैराना, जनपद शामली।
3.मु0अ0सं0-502/2022 धारा- 414 भादवि, थाना कैराना, जनपद शामली।
4.मु0अ0सं0-288/2023 धारा- 2/3 गैंगेस्टर एक्ट, थाना कैराना, जनपद शामली।
5.मु0अ0सं0-276/2024 धारा 11,3 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।
6.मु0अ0सं0-672/2024 धारा 115(2), 131, 351(2), 352 बीएनएस थाना कैराना जनपद शामली।
7.मु0अ0सं0-72/2025 धारा 115(2), 333, 191(2), 191(3), 351(2), 352 भारतीय न्याय संहिता-2023, थाना कैराना जनपद शामली।
8.मु0अ0सं0 75/2025,धारा 25(9) आर्म्स एक्ट, थाना कैराना जनपद शामली।
9.मु0अ0स0 80/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 पौनिया मय 01 जिंदा कारतूस 12 बोर ।

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत उधम सिंह स्टेडियम के पास एक युवक पर जानलेवा हमला की घटना का अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त 02 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को किया गिरफ्तार, अभियुक्त की निशादेही पर 01 बलकटी बरामद।

ज्ञात हो कि दिनांक 06.02.2025 को वादी श्री कमल पुत्र विनोद कुमार निवासी ग्राम मुण्डेटकला थाना आदर्शमंडी जनपद शामली ने अपने भाई अंश जोकि उधम सिंह स्टेडियम में रेस लगाकर घर लौटते समय कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर घायल कर देने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर लिखित तहरीर दाखिल की गयी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना का अनावरण कर अभियुक्तो की यथाशीघ्र गिरफ्तारी किये जाने हेतु थानाध्यक्ष थाना कोतवाली शामली को निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 09.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत उधम सिंह स्टेडियम के पास एक युवक पर जानलेवा हमला की घटना का अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त 02 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का उद्देश्यः- अभियुक्त राहुल ने घटना के सम्बन्ध में बताया कि मेरे मौहल्ले का मोनू पुत्र अशोक मेरा दोस्त है। मोनू की साली से अंश पुत्र कर्मपाल निवासी मुण्डेट कला थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली मोबाइल पर बाते करता था। मोनू की साली अंश से शादी करना चाहती थी लेकिन अंश ने उससे शादी करने से मना कर दिया। यह बात मोनू को पता चली तो उसने अंश को कई बार समझाया भी था परंतु अंश ने शादी करने से मना कर दिया। इसी बात पर नाराज होकर मोनू व उसकी साली ने अंश को सबक सिखाने की योजना बनाई। योजनानुसार दिनांक 05.02.2025 को मोनू के साथ मै व उत्तम तथा मोनू के दोस्त रजत पुत्र सतीश निवासी मौहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली शामली भोला उर्फ शिवांशु पुत्र मुकेश निवासी एकता विहार कॉलोनी पानीपत हरियाणा, अतुल उर्फ गोडहेन्ड पुत्र मांगेराम निवासी अटल विहार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली व अन्य दो तीन साथी जिनके नाम मोनू को पता है। हम सब ऊधम सिंह स्टेडियम के पास धर्मवीर कालोनी के पास खडे हो गये और अंश के आने का इंतजार करने लगे कुछ देर बाद अंश स्टेडियम से बाहर आया तो हम सब ने अपने हाथो मे लिये बलकटी, फर्सा व लोहे की सरियो से अंश को जान से मारने की नियत से उस पर वार उसे अधमरी हालत मे छोडकर वहाँ से भाग गये थे ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता-

1.उत्तम भाटी पुत्र जितेन्द्र कुमार निवासी अटल विहार नियर एम जी पब्लिक स्कूल थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.राहुल पुत्र बिजेन्द्र सैनी निवासी मौहल्ला पंसारियान बडी माता के पास थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

3.निक्की पुत्री रामपाल निवासी छोटी मुण्डेट थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली ।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 03 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तारः-

आज दिनांक 09.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 03 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त/अभियुक्ता को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.राफा पुत्र मकशुद निवासी ग्राम नाई नंगला नवीन थाना झिंझाना जनपद शामली ।

2.बिल्लू उर्फ बलविन्द्र पुत्र बलकार सिह निवासी ग्राम भडी मुस्तफाबाद थाना झिंझाना जनपद शामली ।

3.शुभम पुत्र मोहन निवासी ग्राम वैदखेडी थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामदः-

आज दिनांक 09.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कांधला पुलिस को 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.मौ0 शौकर पुत्र जाकिर निवासी ग्राम गढी दौलत थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।